

अनुदान संख्या 40 – राज्यों को अंतरण
GRANT No. 40 - TRANSFERS TO STATES

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-	109373,50,00	93703,57,96	-15669,92,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			15669,92,00
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	32500,00,00	20485,18,45	-12014,81,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			12014,82,00
पूंजीगत:	Capital:			
प्रभारित—	Charged-			
मूल	Original	20100,00,00		
		23900,84,00	23774,09,98	-126,74,02
पूरक	Supplementary	3800,84,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			100,00,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं—

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	10937350.00		
पु.	R.	-1566992.00		
		9370358.00	9370357.96	-0.04

(I) "वित्त आयोग अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान - ग्रामीण निकाय अनुदान (राज्य)" - ₹ 1000529.05 लाख की बचत (₹4506918.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई:

(खा) "शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान - शहरी निकाय अनुदान (राज्य)" - ₹ 547062.99 लाख की बचत (₹1987019.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में); और

(गा) "राज्य आपदा निवारण निधि के लिए सहायता अनुदान - राज्य आपदा निवारण निधि अनुदान (राज्य)" - ₹ 19400.00 लाख की बचत (₹985213.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण हुईं।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, अभ्यर्पित राशि (₹1201482.00 लाख) कुल बचतों ₹1201481.55 लाख से अधिक हो गई।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

(I) Under "Finance Commission Grants" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for Rural Local Bodies - Rural Bodies Grants (States)" - saving of ₹1000529.05 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹4506918.00 lakhs);

(B) "Grants for Urban Local Bodies - Urban Bodies Grants (States)" - saving of ₹547062.99 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹1987019.00 lakhs); and

(C) "Grants-in-aid for State Disaster Response Fund - State Disaster Response Fund Grants(States)" - saving of ₹ 19400.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹985213.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-fulfillment of prescribed terms and conditions by some State Governments.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹ 1201482.00 lakhs) exceeded the overall savings of ₹1201481.55 lakhs.

Savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess +
------------------------------	--	-------------------------

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	Head
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments
मू.	O. 2000000.00
पु.	R. -1201482.00

798518.00	798518.45	+ 0.45
-----------	-----------	--------

(I) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम – बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना" – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के लिए अनुदान – ₹167591.55 लाख की बचत (₹450000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(I) Under "Centrally Sponsored Schemes-Externally Aided Projects- Grants for Centrally Sponsored Schemes – Grants for Centrally Sponsored Schemes"- saving of ₹167591.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450000.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the State Governments.

(II) "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं।

(II) Under "Other Transfer/Grants to States-Special Assistance" - savings occurred under the following heads:-

(का) "विशेष सहायता (राज्य)" – ₹1031419.00 लाख की बचत (₹1500000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(A) "Special Assistance (States)"- saving of ₹1031419.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500000.00 lakhs); and

(खा) "संविधान के भाग IX और भाग IXक द्वारा कवर नहीं किए गए क्षेत्रों को अनुदान" – ₹2471.00 लाख की बचत (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Grants to areas not covered by Part IX and IX A of the Constitution"- saving of ₹2471.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non receipt of viable proposals from the State Governments.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head :-

कुल विनियोग
Total
appropriation

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "7601"	Major Head "7601"				
राज्य सरकारों को कर्ज और अग्रिम	Loans and Advances to State Governments				
मू.	O.	2010000.00			
पू.	S.	380084.00	2380084.00	2377409.98	-2674.02
पु.	R.	-10000.00			

(I) ₹10000.00 लाख का विनियोग "राज्यों को अन्य कर्ज - प्राकृतिक आपदा के कारण राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में कर्ज - प्राकृतिक आपदा के कारण राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में कर्ज (राज्य)" के अंतर्गत राज्य सरकारों से मांग प्राप्त न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Appropriation of ₹10000.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under "Other Loans to States - Loans as Advance Assistance for relief on account of Natural Calamities- Loans as Advance Assistance for relief on account of Natural Calamities (States)" - due to non-receipt of demand from the State Governments.

(II) "राज्यों को अन्य कर्ज - एक मुश्त कर्ज - बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" - फरवरी, 2019 में ₹2000000.00 लाख के मूल विनियोग को ₹380084.00 लाख का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2380084.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹2674.02 लाख की सीमा तक सहायता, लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त विनियोग की उपलब्धता न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Other Loans to States - Block Loans - Additional Central Assistance for externally aided projects" - the original appropriation of ₹2000000.00 lakhs was augmented to ₹2380084.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of ₹380084.00 lakhs in February, 2019 which, however, remained unutilized to the extent of ₹2674.02 lakhs - due to non-availability of sufficient appropriation to process the proposals received from Office of Controller of Aid, Accounts and Audit.